

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक :: शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2-5/एनओसी/2017/ दिनांक :: 06/9/2017

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा-द्वितीय,
अजमेर।

विषय :- श्री राजीव शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि० तिलाना-श्रीनगर जिला अजमेर का आर०ए०एस० भर्ती परीक्षा 2013 से राजस्थान लेखा सेवा (आरएसी) में चयनोपरान्त कार्यमुक्ति के क्रम में।

प्रसंग :- विभाग का पूर्व अनापत्ति सम्बन्धी कार्यालय आदेशांक : शिविरा/माध्य/संस्था/ए-2-7/अनापत्ति/2017 दिनांक 26-04-2017 एवं आपका पत्रांक : जिशिअ/मा/द्वितीय/अज/संस्था-1/फा-14/2017/268 दिनांक 04-09-2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक आदेश दिनांक 26-04-2017 द्वारा जारी अनापत्ति के सन्दर्भ में प्रार्थी श्री राजीव शर्मा, वर्तमान प्रधानाचार्य राउमावि० तिलाना-श्रीनगर, अजमेर का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर०ए०एस० भर्ती परीक्षा 2013 में प्रार्थी का चयन राजस्थान लेखा सेवा में हो जाने से, इन्हे आगामी दिनांक 11-09-2017 को अपनी उपस्थिति एच०सी०एम०-रीपा जयपुर में देनी है।

आर०ए०एस० भर्ती परीक्षा 2013 में प्रार्थी के उक्त चयन के आधार पर प्रार्थी श्री राजीव शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि० तिलाना-श्रीनगर जिला अजमेर की नियमानुसार कार्यमुक्ति की कार्यवाही करावें।




(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- सयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 02- श्री राजीव शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि० तिलाना-श्रीनगर जिला अजमेर को सूचनार्थ।
- 03- गार्ड पंजिका/ रक्षित पत्रावली।



सयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में राजस्थान लेखा सेवा (लेखाधिकारी) में चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01.	सुशील कुमार, भासीणा (चूरु)	भौतिक	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, के आदेश क्रमांक: प. 1 (9) वित्त /राजस्व/2011 जयपुर, दिनांक: 05.09.2017

विभाग छोड़ने के बाद इनका वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा । संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें ।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 06.09.2017

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/अन्यत्र विभाग कार्यमुक्ति/2012

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. उपशासन सचिव, संबंधित विभाग ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
5. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर